(239)

(346)

प्र/निग०/17/3952. सिंगरौली

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल महोदय, म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा म०प्र० Rs301/-

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

यशवंत कुमार तनय रामनुग्रह वैश्य निवासी ग्राम सिंगरौलिया, रा०नि०वृ० शासन

तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० ------- निगरानी कर्ता

श्री नारायण कुमार साहू.
द्वारा पेश 17.10.17

बनाम

शीतल प्रसाद वैश्य तनय स्व० ठाकुरदयाल वैश्य निवासी ग्रामसिंगरौलिया, रा०नि०

वृ० शासन

2- शासन म०प्र० ------- गैरनिगरानी कर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश रा० नि०वृ० शासन तह०
व जिला सिंगरौली के प्र० क्र० 38अ-12/16-17 आदेश
दिनांक 30.6.17,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं० 1959ई० या

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि अधी० न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया व प्राकृति न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यह कि आवेदक आराजी नं० 691/1, 692/1, 699/1, स्थित ग्राम सिंगरौलिया रा० नि० वृ० शासन तहसील व जिला सिंगरौली का अभिलिखित भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी है। गैरनिगरानी कर्ता क्र० 1 ने अपने आराजी ख० क्र० 482, 689, एवं 700 के सीमांकन हेतु अधी० न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र 17.6.17 को प्रस्तुत किया था, निगरानी कर्ता सीमांकित भूमियों का सरहददी कृषक है। किन्तु निगरानी कर्ता को कोई सूचना नही दी गई, एवं न ही मौके से कोई सीमांकन ही किया गया एवं जो सूचना पत्र कुछ सरहददी कृषको को जारी किया गया, वह सूचना दिनांक 19.6.17 के लिए जारी की गई थी। किन्तु 19.6.17 को कोई सीमांकन नही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 3957 जिला–सिंगरौली

यशवंत कुमार वैश्य / सीतल प्रसाद वैश्य

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त शासन, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 38 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	